

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा


जिला - झालावाड़ (राज.)

शेखर शर्मा

बनाम

बालबाली

किस्म मुकदमा (260) डावा नं. 260 सन् 2025
(09R9 cpc) (144/2025) प्रापत्र

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
07/5/25	<p>पत्रावली पेश हुई। प्राची/बाडी द्वारा पेश प्रापत्र 09R9 cpc को एवं रजिस्टर किया गया। अपात्री/प्रतिवादी को जारी समान तालिका किया गया। अपात्री प्रति 502 रु. उपलब्ध। शेष अपात्री/प्रतिवादी के विरुद्ध पूर्व में ही एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। अपात्री की ओर से AdU श्री नैराक्षरता सिवडी उपलब्ध हुए। अपात्री प्रति 5 की ओर से AdU श्री हुकुमचंड कुमार उपलब्ध प्रति 2 एवं उपलब्ध। बेल प्रापत्र 09R9 cpc सुनी गई। उत्प्रेषणकारण के प्रापत्र को लौटाने पर समान कार्यवाही भी हुई। प्रापत्र के वासी प्राची के विरुद्ध दिनांक 05/8/25 को असम हाजिरी असम पेशी में एकपक्षीय कार्यवाही कर सुट को default से dismiss किया गया था जिसे set-aside करने के लिए प्राची/बाडी ने 02 दिनांक दिनांक 07/5/25 को प्रापत्र पेश कर दिया। प्राची द्वारा बेल के वाकिफ होने व वकील द्वारा हाजिरी भी सूचना गयी होने का कारण</p>	<p>प्राचीना पत्र पराम्भे जापति (एल.एम.सी.ए.) बालबाली </p>




तामिडा
हुकम

हुकम वा कार्यवाही वा मय इनिशियलस जज

सिद्ध
नम्बर
अदालत
हुकम
में ज

mentum दिया है जो good cause मानते
होगे। किसी पक्ष को कोई objection
नहीं है। आतः उपरोक्त विवेचन के
आधार पर सर्वोच्च न्यायालय 1989
CPC लीकार द्वारा जारी ex-parte
order's decree dated 05/08/25 को set-
aside दिया जाता है। प्रकरण को पुनः
नव्य (re-store) नियम लागू की गई है।
दिए जाते हैं। प्रकरण को राफिलर से
पुनः वास्तव में 15/09/25 को फाइल
23/09/25 को फाइल है।


07/08/25